रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 1987/आषाढ़ 3, 1909
No. 307] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 1987/ASADHA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1987

अधिसूचना

धनकर

का० आ० 625(अ).—केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (xviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस खण्ड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित डिबेंचरों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(i) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए "दस-वर्षीय-10% (कर मुक्त) प्रतिभूत मोचनीय एन टी० पी० सी० बंधपत्र-1986-पहली शृंखला",

(ii) नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन द्वारा जारी किए गए "सात वर्षीय-14% प्रतिभूत मोचनीय एन टी पी सी बंधपत्र-1986-दूसरी श्रृंखला" :

परन्तु उक्त खंड के अधीन फायदा ऐसे बंधपत्रों के पृष्ठांकन या परिदान द्वारा अन्तरण की दशा में तभी अनुक्षेप होगा जब अंतरिती उक्त कार्पोरेशन को ऐसे अन्तरण के साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचित करता है ।

[फा० सं० 328/21/87-धनकर]
ए० के० फोतेदार,
अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th June, 1987

## NOTIFICATION

## WEALTH-TAX

S.O. 625(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xvio) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby specifies the following debentures for the purpose of that clause, namely :—

(i) "10-Year-10 per cent (Tax Free) Secured Redeemable NTPC Bonds 1986-First Series" issued by the National Thermal Power Corporation Limited;

(ii) "7-Year-14 per cent Secured Redeemable NTPC Bonds—1986-Second Series" issued by the National Thermal Power Corporation Limited :

Provided that the benefit under the said clause shall be admissible in the case of transfer of such bonds, by endorsement or delivery, only if the transferee informs the said Corporation by registered post within a period of sixty days of such transfer.

[F. No. 328|21|87-WT]

A. K. FOTEDAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987